

प्रश्न सं. [क. 32]			परिशिष्ट - अ	
विधानसभा मानसून सत्र जुलाई 2026 तारांकित प्रश्न क्रमांक 32 द्वारा माननीय विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल				
क्रमांक	जिले का नाम	जनपद पंचायतों की संख्या	पेसा अंतर्गत आने वाली कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्य से मुक्त किए गए मोबिलाइजर की संख्या
1	बालाघाट	3	172	168
2	शहडोल	4	323	280
3	झाबुआ	6	375	354
4	आलीराजपुर	6	288	268
5	मण्डला	9	489	463
6	धार	12	674	596
7	रतलाम	2	112	101
8	खण्डवा	1	86	77
9	बैतूल	6	275	263
10	सिवनी	5	345	335
11	सीधी	1	42	38
12	उमरिया	1	44	44
13	शोपुर	1	52	49
14	नर्मदापुरम	1	52	50
15	डिंडोरी	7	364	350
16	अनूपपुर	4	277	252
17	बुरहानपुर	1	90	76
18	बडवानी	7	409	372
19	खरगौन	7	392	328
20	छिंदवाडा	4	270	266
योग	20	88	5131	4730

संयुक्त संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

Raw
31/07/2026

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

द्वितीय-तल, विकास भवन,
पुरानी जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल

E-mail address: dirpanchayat@mp.gov.in

उप-प्र. 8448

पं. राज/RGSA-83/2026

भोपाल, दिनांक 01/05/2026

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पेसा जिला पंचायत - झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, धार, खरगोन, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया एवं श्योपुर (म.प्र.)

विषय:- ग्राम पंचायत पेसा मोबलाइजर्स की सेवाओं के संबंध में।

संदर्भ:- 1. संचा. पत्र क्र. 14904 दिनांक 31.12.2020 एवं समय-समय पर दिये गये निर्देश।

1. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 01 अप्रैल 2026 एवं 28.04.2026

2. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. DO. No. M-11011/23/2025-CB-Part(1) दिनांक 04.05.2026

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिए। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित आरजीएसए (संशोधित) योजना दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक प्रभावशील रही। उक्त योजना की बजट कंडिका 6(iv) के अंतर्गत पेसा मोबलाइजर्स का मानदेय विकलनीय होता है। उक्त योजना 31.03.2026 को पूर्ण हो चुकी है। योजना के नवीन स्वरूप में क्रियान्वयन का नीति निर्धारण भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है। ऐसी दशा में आपके जिले में ग्राम पंचायत के माध्यम से चयनित ग्राम सभा मोबलाइजर्स की सेवाएं निरंतर रखी जाना संभव नहीं है।

अतः कृपया संबंधित ग्राम पंचायतों को पेसा मोबलाइजर्स को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त करने हेतु सूचित करें एवं कार्यवाही उपरांत इस कार्यालय को भी अवगत करावें। भारत सरकार से आगामी निर्देश प्राप्त होने की दशा में तदनुरूप सूचित किया जायेगा।

Digitally signed by
Chhotay Singh
Date: 13-05-2026
18:51:15

(छोटे सिंह)

आयुक्त सह संचालक
पंचायत राज संचालनालय
भोपाल, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 8449/पं.राज/RGSA-83/2026

भोपाल, दिनांक 01/05/2026

प्रतिलिपि

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

1. उपर्युक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, जनजातीय प्रकोष्ठ, लोकभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर पेसा जिला- झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, धार, खरगोन, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया, एवं श्योपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पेसा जनपद पंचायत समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 संयुक्त संचालक
 पंचायत राज संचालनालय
 मध्यप्रदेश

आयुक्त सह संचालक
 पंचायत राज संचालनालय
 भोपाल, मध्यप्रदेश